

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकC/238...../

जबलपुर, दिनांक 07/01/2023

दो-14-73/20

शाहिना खान, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को स्वीकृत अर्जित अवकाश दिनांक 04.07.2022 से 16.07.2022 तक एवं दिनांक 17.07.2022 से 12.01.2023 तक 180 दिन के प्रसूति अवकाश के निरन्तर में दिनांक 13.01.2023 से 11.07.2023 तक 180 दिन का संतान पालन अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही/-
(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल


पृष्ठांकन क्रमांकC/239...../

जबलपुर, दिनांक 07/01/2023

दो-14-73/20

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. शाहिना खान, P.A., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(यू.एस. दुबे)
ओ.एस.डी. कम-पी.पी.एस.